

प्रेषक,

आर०मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग-02

देहरादून: दिनांक 29 मार्च, 2018:

विषय- वर्ष 2017-18 में दुग्ध संघ कार्मिकों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (सामान्य) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1694-95/नियोजन-प्रस्ताव स्वै०से०निवृ० योजना पत्रा०/2017-18, दिनांक 10 जनवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु डेरी विकास विभाग को अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत दुग्ध संघ कार्मिकों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ₹ 500.00 लाख (₹ पाँच करोड़ मात्र) आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. राज्य के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के कार्मिकों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के क्रियान्वयन में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के कार्मिकों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नियमावली-2017 में विहित प्राविधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए 32 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कर्मचारियों का पद स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि की फॉट निदेशक, डेरी द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला स्तर के अधिकारियों, दुग्ध संघों एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।
3. वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय, साथ ही इस धनराशि का एक मुश्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार आहरण किया जाय।
5. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों एवं शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों के अन्तर्गत ही किया जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।
7. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०-08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
8. कोषागार में बीजक प्रस्तुत करते समय अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक का सही रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

9. धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो समक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
 10. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शासन एवं नियोजन प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायी जाय।
 11. राज्य के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के कार्मिकों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के क्रियान्वयन में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के कार्मिकों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नियमावली-2017 में विहित प्राविधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन के क्रम में 32 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के पदों को समाप्त करते हुए राज्य के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के कार्मिकों के नवीन ढांचे से संबंधित सुस्पष्ट प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 2- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-00-102-डेरी विकास परियोजनायें-14-दुग्ध संघ कार्मिकों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्य 283 /XXVII-4/2017, दिनांक 29 मार्च 2018 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आर०मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या- 197 (1)/XV-2/2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग-4, /नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. संयुक्त निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, संयुक्त निदेशक/सम्पर्क कार्यालय, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(वी०एस० पुण्डीर)
उप सचिव।